**फर्द अहकाम**

**(नियम 26)**

# न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

| **प्रार्थी / अपीलांट** | **बनाम** | **अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट** |
|---|---|---|
| श्री भंवरलाल राजपुरोहित<br>निवासी पावटी डोरदा,<br>जसवन्तपुरा<br>जिला जालोर। | | सरकार जरिये सहायक लोक सूचना अधिकारी<br>तहसीलदार, सिरोही |

किस्म मुकदमा– **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005** मुकदमा नं.47 वर्ष 2026

| दिनांक हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज | नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए |
|---|---|---|
| 27.04.2026 | अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार, सिरोही को एक ऑनलाईन आवेदन दिनांक 19.02.2026 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि सिरोही तहसील के ग्राम सिलदर के खसरा संख्या 1231 गैर मुमकिन नाडा की भूमि पर किए गए अतिक्रमण में अतिक्रमियों के नाम/अतिक्रमण का प्रकार/राजस्व विभाग द्वारा दर्ज किए गए 91 प्रकरण सहित सम्पूर्ण ब्यौरा एवं मौजा सिलदर में राजस्व विभाग द्वारा अब तक भू–राजस्व अधिनियम की धारा 91 के दर्ज प्रकरणों का सम्पूर्ण ब्यौरा की प्रमाणित प्रति तथा उक्त ग्राम में समय–समय पर राजस्व विभाग द्वारा की गई कार्यवाही का सम्पूर्ण ब्यौरा की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना सहायक लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं।<br><br>मैने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10/– जमा करा दिए है। अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार, सिरोही को एक ऑनलाईन आवेदन दिनांक 19.02.2026 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि सिरोही तहसील के ग्राम सिलदर के खसरा संख्या 1231 गैर मुमकिन नाडा की भूमि पर किए गए अतिक्रमण में अतिक्रमियों के नाम/अतिक्रमण का प्रकार/राजस्व विभाग द्वारा दर्ज किए गए 91 प्रकरण सहित सम्पूर्ण ब्यौरा एवं मौजा सिलदर में राजस्व विभाग द्वारा अब तक भू–राजस्व अधिनियम की धारा 91 के दर्ज प्रकरणों का सम्पूर्ण ब्यौरा की प्रमाणित प्रति तथा उक्त ग्राम में समय–समय पर राजस्व विभाग द्वारा की गई कार्यवाही का सम्पूर्ण ब्यौरा की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता है कि अपीलांट द्वारा मांगी गई उपरोक्त सूचना सहायक लोक सूचना अधिकारी उपतहसीलदार कालन्द्री से सम्बन्धित होने से तहसीलदार सिरोही द्वारा जरिए पत्र क्रमांक/लो.सू.अ./2026/186 दिनांक 23.02.2026 के द्वारा अपीलांट का मूल आवेदन पत्र सहायक लोक सूचना अधिकारी उपतहसीलदार कालन्द्री को स्थानान्तरित कर दिया गया था तथा उपतहसीलदार कालन्द्री द्वारा उपरोक्त सूचना अपीलांट को अभी तक उपलब्ध नहीं करवाई गई है। अतः ऐसी स्थिति अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर सहायक लोक सूचना अधिकारी उपतहसीलदार कालन्द्री को आदेशित किया जाता है कि अपीलांट द्वारा चाही गई समस्त सूचना तत्काल नियमानुसार उपलब्ध करावें। यदि सूचना देना नियमों में संभव नही हो तो स्पेसीफिक आदेश पारित कर अपीलांट को सूचित करें। निर्णय सर–ए–इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।<br><br>(रोहिताश्व सिंह तोमर)<br>**जिला कलक्टर, सिरोही** | |